सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942–अगस्त 21, 2020 *Sravana 30 , Friday, Saka 1942–August 21, 2020*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2020

संख्या एफ. 13(26)विशा/विस/2020 :-**राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020** जैसा कि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया,सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.26 of 2020

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 1st May, 2020.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) after the existing expression "agricultural produce" and before the existing expression "bought or", the expression "brought or" shall be inserted; and

(ii) for the existing expression "market area", the expression "physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-

yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this Act," shall be substituted.

3. Insertion of new section 17-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 17 and before the existing section 18 of principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"17-A. Power to collect Krishak Kalyan fee.- (1) The market committee shall collect Krishak Kalyan fee from the licensees in the prescribed manner, on agricultural produce brought or bought or sold by them in the physical boundaries of principal market yards, sub-market yards and market sub-yards managed and run by the market committees formed and, private market yards, private market sub-yards, direct marketing collection centres, and private farmer-consumer market yards managed by persons holding licences or, any warehouses, silos, cold storages or other structures notified as markets or deemed markets, under this Act, at such rate as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette.

(2) The fee collected shall be deposited in Krishak Kalyan Kosh constituted under section 19-A.".

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 2 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

_____

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The traders bring in notified agricultural produce from other States into the market area of the State but they do not pay market fee on the ground that transaction was carried out of State. There are no explicit provisions in the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), although, the market fee is payable on such produce brought by traders from other States as process of purchases is completed within the State. Therefore, vide the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 2 of 2020) section 17 of the Act of 1961 was proposed to be amended suitably to ensure payment of market fee on the notified agricultural produce brought in the market area of the State by traders from other States.

In order to mobilize resources on sustainable basis to undertake various activities and Schemes for farmers' welfare, a new section 17-A was proposed to be inserted by the said Ordinance in the Act of 1961 to empower Market Committees to collect Krishsak Kalyan Fee to be deposited in Krishak Kalyan Kosh constituted under section 19-A.

Later on, Hon'ble the President of India promulgated "The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (Central Ordinance No. 10 of 2020)" on 5th June, 2020 wherein by defining the "Trade area" it has restricted the area of application of the State Agricultural Produce Marketing Acts in force in India. Since, the Central Ordinance was promulgated after the promulgation of the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 2 of 2020) it necessitated to amend certain provisions relating to area of operation in the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961. Accordingly, sections 17 and 17-A of the Act of 1961 are proposed to be amended suitably.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 2 of 2020), on 1st May, 2020, which was published in Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV(B), dated 1st May, 2020.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

2020 का विधेयक **सं.26**

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 1 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लायी गयी या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 में नयी धारा 17-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 17 के पश्चात् और विद्यमान धारा 18 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**17-क. कृषक कल्याण फीस संगृहीत करने की शक्ति.**- (1) मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारियों से, इस अधिनियम के अधीन, गठित की गयी मण्डी समितियों द्वारा प्रबंधित और चलाये गये प्रधान मण्डी यार्ड, उप-मण्डी यार्ड और मण्डी उप-यार्ड की भौतिक सीमाओं में, और अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी यार्ड, निजी मण्डी उप-यार्ड, प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और निजी कृषक-उपभोक्ता मण्डी यार्ड में, या मण्डियों या मानित मण्डियों के रूप में अधिसूचित किन्हीं भाण्डागारों, कोष्ठागारों, शीतागारों या अन्य संरचनाओं में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लायी गयी या क्रीत या विक्रीत कृषि उपज पर ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, विहित रीति से कृषक कल्याण फीस संगृहीत करेगी।

(2) संगृहीत की गयी फीस धारा 19-क के अधीन गठित कृषक कल्याण कोष में जमा की जायेगी।"।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

व्यापारी राज्य के मण्डी क्षेत्र में अन्य राज्यों से अधिसूचित कृषि उपज लाते हैं, किन्तु वे मण्डी फीस इस आधार पर संदत्त नहीं करते हैं कि संव्यवहार राज्य के बाहर किया गया था। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) में इसके संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं हैं, यद्यपि व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से लायी गयी ऐसी उपज पर मण्डी फीस संदेय है क्योंकि क्रय की प्रक्रिया राज्य के भीतर पूरी की जाती है। इसलिए, व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से राज्य के मण्डी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस का संदाय सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 2) द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 17 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

कृषक कल्याण के लिए विभिन्न क्रियाकलापों और स्कीमों का जिम्मा लेने के लिए संसाधनों को सतत आधार पर काम में लेने के उद्देश्य से धारा 19-क के अधीन गठित कृषक कल्याण कोष में जमा की जाने वाली कृषक कल्याण फीस को संगृहीत करने हेतु मण्डी समितियों को सशक्त करने के लिए उक्त अध्यादेश द्वारा 1961 के अधिनियम में नयी धारा 17-क को अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

तत्पश्चात्, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 5 जून, 2020 को "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का केन्द्रीय अध्यादेश सं. 10)" प्रख्यापित किया जिसमें "व्यापार क्षेत्र" को परिभाषित करते हुए भारत में प्रवृत्त राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियमों के लागू होने के क्षेत्र को निर्बंधित किया है। चूंकि, केन्द्रीय अध्यादेश राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 2) के प्रख्यापन के पश्चात् प्रख्यापित किया गया था, इसलिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में प्रचालन के क्षेत्र से संबंधित कतिपय उपबंधों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, 1961 के अधिनियम की धारा 17 और 17-क को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 1 मई, 2020 को राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 1 मई, 2020 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Government Central Press, Jaipur.